न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपर, जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}
प्रकरण संख्याः 280/2025(जी.सी.एम.एस. 2025/428)

वादी	बनाम प्रतिवादीगण
1. गुरमीत सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह जाति तरखान निवासी 13 एच तहसील श्रीकरणपुर।	1. बलजिन्द्र कौर पत्नी करनैल सिंह जाति जटसिख निवासी 13 एच तहसील श्रीकरणपुर। 2. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू 13.08.2025

उपस्थितः 1. श्री राजेन्द्र सिंह रमाणा अधिवक्ता वादीगण
2. श्री इन्द्राज सेजू अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1

––निर्णय–– दिनांकः 24.09.2025

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 13 एच, पटवार हल्का 13 एच, भू.अ.नि. क्षेत्र मलकाना कलां, जिला श्रीगंगानगर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 21/18 के मुरब्बा नम्बर 59, 94/19 की कुल 6.325 हैक्टेयर भूमि में से वादी गुरमीत सिंह के नाम से 1.012 हैक्टेयर भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। इसी प्रकार राजस्व ग्राम 13 एच, पटवार हल्का 13 एच, भू.अ.नि. क्षेत्र मलकाना कलां, जिला श्रीगंगानगर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 16/16 के मुरब्बा नम्बर 57, 74 की कुल 4.175 हैक्टेयर भूमि में से प्रतिवादी बलजिन्द्र कौर के नाम 2.088 हैक्टेयर भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने आपसी काश्त सहुलियत के अनुसार सहमति से घरू वाहमी बंटवारा किया हुआ है। घरू बंटवारानामा में वादी को राजस्व ग्राम 13 एच, पटवार हल्का 13 एच, भू.अ.नि. क्षेत्र मलकाना कलां, जिला श्रीगंगानगर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 16/16 के मुरब्बा नम्बर 57, 74 की कुल 4.175 हैक्टेयर भूमि में से प्रतिवादी बलजिन्द्र कौर के नाम 2.088 हैक्टेयर भूमि में से 0.772 हैक्टेयर भूमि व प्रतिवादी संख्या 1 बलजिन्द्र कौर को राजस्व ग्राम 13 एच, पटवार हल्का 13 एच, भू.अ.नि. क्षेत्र मलकाना कलां, जिला श्रीगंगानगर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 21/18 के मुरब्बा नम्बर 59, 94/19 की कुल 6.325 हैक्टेयर भूमि में से वादी गुरमीत सिंह के नाम से 1.012 हैक्टेयर भूमि प्राप्त हुई है। घरू बंटवारानामा अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 अपनी-अपनी भूमि पर शांतिपूर्वक काबिज काश्त है। वादी उक्त भूमि पर काफी वर्षो से निर्बाध रूप से, शांतिपूर्वक काबिज चला आ रहा है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 अपने-अपने रकबा पर काबिज अवश्य है। लेकिन कब्जा काश्त के अनुसार रकबा अंकित नहीं है। हालांकि वादी ने कब्जा काश्त की भूमि को काफी मेहनत से भूमि को समतल करके, उसमें कई सुविधाओ का निर्माण किया है। वादी का जीवन निर्वाह व उज्जवल भविष्य कृषि भूमि पर निर्भर है, लेकिन राजस्व अभिलेख में मुताबिक कब्जा काश्त के रकबा अंकित नहीं है। आज से 2 रोज पूर्व वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 के समक्ष उपस्थित होकर, सहमति से राजस्व अंकन करवाने हेतु निवेदन किया, लेकिन उसके द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नही दिया गया है। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वादपत्र पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर वादी को राजस्व ग्राम 13 एच, पटवार हल्का 13 एच, भू.अ.नि. क्षेत्र मलकाना कलां, जिला श्रीगंगानगर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 16/16 के मुरब्बा नम्बर 57, 74 की कुल 4.175 हैक्टेयर भूमि में से प्रतिवादी बलजिन्द्र कौर के नाम 2.088 हैक्टेयर भूमि में से 0.772 हैक्टेयर भूमि का व प्रतिवादी संख्या 1 बलजिन्द्र कौर को राजस्व ग्राम 13 एच, पटवार हल्का 13 एच, भू.अ.नि. क्षेत्र मलकाना कलां, जिला श्रीगंगानगर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 21/18 के मुरब्बा नम्बर 59, 94/19 की कुल 6.325 हैक्टेयर भूमि में से वादी गुरमीत सिंह के नाम से 1.012 हैक्टेयर भूमि का खातेदार घोषित किए जाने के आदेश दिए जावे।
2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री इन्द्राज सेजू उपस्थित आए व जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया। जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम के अनुसार वादी को राजस्व ग्राम 13

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

एच, पटवार हल्का 13 एच, भू.अ.नि. क्षेत्र मलकाना कलां, जिला श्रीगंगानगर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 16/16 के मुरब्बा नम्बर 57, 74 की कुल 4.175 हैक्टेयर भूमि में से प्रतिवादी बलजिन्द्र कौर के नाम 2.088 हैक्टेयर भूमि में से 0.772 हैक्टेयर भूमि का व प्रतिवादी संख्या 1 बलजिन्द्र कौर को राजस्व ग्राम 13 एच, पटवार हल्का 13 एच, भू.अ.नि. क्षेत्र मलकाना कलां, जिला श्रीगंगानगर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 21/18 के मुरब्बा नम्बर 59, 94/19 की कुल 6.325 हैक्टेयर भूमि में से वादी गुरमीत सिंह के नाम से 1.012 हैक्टेयर भूमि का खातेदार घोषित किए जाने के आदेश दिए जावे। वादी अधिवक्ता के द्वारा काउन्टर क्लेम पर अनापत्ति जाहिर की। प्रकरण में अधिवक्तागण के द्वारा निवेदन किया कि प्रकरण में वादी को प्रतिवादी संख्या 1 का काउन्टर क्लेम स्वीकार है तथा प्रतिवादी संख्या 1 को वादी का वादपत्र स्वीकार है। इसलिए वादीगण का वादपत्र व प्रतिवादी संख्या 1 का काउन्टर क्लेम डिक्री फरमाया जावे।

3. पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वादपत्र मय शपथपत्र, जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादी व प्रतिवादी संख्या 1 राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार काश्तकार है। लिहाजा वादी का वादपत्र व प्रतिवादी संख्या 1 का काउन्टर अंतिम डिक्री जारी किया जाना हम उचित समझते है।

-:आदेश:-

4. अतः अंतिम डिक्री बहक वादी, प्रतिवादी इस अमर की जारी की जाती है कि वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 भली-भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर वादी गुरमीत सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह को राजस्व ग्राम 13 एच, पटवार हल्का 13 एच, भू.अ.नि. क्षेत्र मलकाना कलां, जिला श्रीगंगानगर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 16/16 के मुरब्बा नम्बर 57, 74 की कुल 4.175 हैक्टेयर भूमि में से प्रतिवादी बलजिन्द्र कौर के नाम 2.088 हैक्टेयर भूमि में से 0.772 हैक्टेयर भूमि का व प्रतिवादी संख्या 1 बलजिन्द्र कौर पत्नी करनैल सिंह को राजस्व ग्राम 13 एच, पटवार हल्का 13 एच, भू.अ.नि. क्षेत्र मलकाना कलां, जिला श्रीगंगानगर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 21/18 के मुरब्बा नम्बर 59, 94/19 की कुल 6.325 हैक्टेयर भूमि में से वादी गुरमीत सिंह के नाम दर्ज 1.012 हैक्टेयर भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खातों के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 24.09.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)